

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. वाद / 75 / 2017

दर्ज दिनांक:—19.07.2017

खैमसिंह पुत्र ख्यालीराम निवासी सैह तहसील व जिला भरतपुर।

.....वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह
2. धारा
3. मुनेश
4. माया पत्नि धारा
5. रामाबू
6. हुकमसिंह
7. किशनसिंह पुत्र तोलईया

पुत्रगण स्व० मानसिंह

पिसरान स्व. अमरसिंह

जाति लोधा निवासीयान बझेरा
तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:
दिनेश शर्मा

वादी अभिभाषक

निर्णय

सत्यमेव जयते

दिनांक:—28.02.2019

आज यह पत्रावली वादी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि आपसी राजीनामा होने के कारण वह अपने दावा को चलाना नहीं चाहता। दावा विद्वा में खारिज करने का निवेदन किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी को सुना। वादी अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता। अतः दावा वादी विद्वा किये जाने पर इसी stage पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दा.द. हो।

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर